tion regarding disease outbreaks in public/private sector hatcheries/poultry forms.

3. State/Union Territory Governments who have not set up the State level poultry Development Corporations/Federations may set up the same.

4. State/Union Territory Governments may include the members of Central Poultry Development Advisory Council as the members of the respective state level Poultry Development Advisory Councils so that they will be able to discharge their duties more effectively.

5. State/Union Territory Governments may constitute State level poultry Development Advisory Council who have not set up the same so far.

6. The state level Poultry Corporations/Federations may give priority to the Integrated Rural Development Programme (IRDP) beneficiaries for providing necessary inputs and marketing facilities.

दक्षिण दिल्ली में डी०डी०ए० के मकान

840. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण दिल्ली में डी०डी०ए० के उन फ्लैटों का ब्यौरा क्या है जो बन चुके हैं, परन्तु अभी तक आवंटित नहीं हुये हैं ; और

(ख) दिल्ली में इस समय दिल्ली विकास प्राधिकरण के कुल कितने प्लाट खाली पड़े हैं और इनका दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी तथा पश्चिमी दिल्ली में अलग-अलग विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :

	फ्लैटों की संख्या	श्रेणी
1. कालू सराय	56	आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग/जनता
2. मदनपुर खादर	866	आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग/जनता
3. किशनगढ़	66	स्व: वित पोषित योजना
4. दक्षिणपुरी	282	आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग/जनता

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अभी तक ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

अनुसूचित जातियों की सूची में धानुक समुदाय का सम्मिलित किया जाना

841. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार राज्य को धानुक समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किये जाने के संबंध में महामंत्री, अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ, पंचकुइयां रोड, नई दिल्ली से हाल में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है ?

कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री निरंजन गोमांगो) : (क) और (ख) अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ नई दिल्ली के महामंत्री से बिहार में धानुक समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलिति किये जाने के संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

इस प्रकार के अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ उपरोक्त प्रस्ताव पर भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में प्रस्तावित व्यापक संशोधन के संबंध में विचार किया जा रहा है । फिर भी, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में संविधान की धारा 341(2) तथा 342 (2) को ध्यान में रखते हुये केवल संसद के अधिनियम के द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है ।